

06/02/25

उम्मीद है कि आपका पत्र संख्या 20/02/25 को 30/01/25  
को मुलाखत परीक्षा के लिए स्वीकार किया जाएगा  
है। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक निदेशक (आर.डी.)  
को संख्या 20/02/25 के माध्यम से संपर्क करें।

आपका विश्वसनीय  
अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS  
2025/169

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़, जिला  
श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या-87/25

दायरा दिनांक:-18/03/2025

GCMS:- 2025/169

1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2 महावीर पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण



बनाम्

1- बनवारीलाल पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

2- सरबती पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका तहसील  
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

3- राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

4- प्रेमा देवी पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

5- सावत्री पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

6- रामचन्द्र पुत्र श्री गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

7- विनोद पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी सरदापुरा बिका तहसील  
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8- शिवकुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

..... 2 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

9- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 48, 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:-

- 1-सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण
- 2-धवीर सिंह हुंदल अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 ता 8
- 3-पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

—:- निर्णय —:-

दिनांक:- 06.06.2025



पत्रावली पेश हुई वकील वादीगण/प्रतिवादीगण 1 ता 8 उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 3, 6, 7, 8, के नाम से राजस्व तहसील सूरतगढ़ के चक 9 डी बी एन के जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 160/147 के प0न0 60/288 मु0न0 64 के कि0न0 9 ता 20 में 3.289 है0 नहरी प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 1/1 ता 25/2 में 6.034 है0 प0न0 66/287 मु0न0 57 के कि0न0 4/1 ता 7, 14 ता 17, 24, 25 में 2.530 है0 इस प्रकार खाता कि कुल 11.853 है0 व वाके चक 27 एल जी डब्ल्यू की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 25/21 प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0 न0 11 ता 13/1 में 0.632 है0 नहरी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व इसी प्रकार तहसील सूरतगढ़ के वाके चक 27 एल जी डब्ल्यू की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 43/48 प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0 न0 6/1 ता 10 में 1.265 है0 नहरी मय खाला इसी प्रकार में वादी संख्या 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत् 2072-2075 खाता संख्या 207/172 प0न0 60/283 मु0न0 23 का कि0न0 1/1 ता 3/2 व 9,

..... 3 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

10 में 1.265 है0 नहरी मय गैमुरास्ता जो वादी संख्या 01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार चक 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 37/36 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 21/2 ता 23/2 में 0.620 है0 नहरी खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इसी प्रकार 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 20/19 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 23/1 ता 25/2 में 0.632 है0 नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं इसी प्रकार चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 200/159 प0न0 61/281 मु0न0 12 के कि0न0 1, 9 ता 12, 19 ता 21 में 2.024 है0 नहरी व प0न0 62/281 मु0न0 13 के कि0न0 20/1 व 21 में 0.468 है0 नहरी कुल 2.492 है0 नहरी खातेदारी भूमि के प्रतिवादी संख्या 4 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 का 1/3 हिस्सा इसी प्रकार चक 25 एल जी डब्ल्यू ए कि जमाबन्दी संवत 2075-2078 के खाता संख्या 87/67 के प0न0 60/294 मु0न0 35 के कि0न0 17/2 ता 25/2 में 2.176 है0 नहरी मय खाला इसी प्रकार प0न0 60/295 मु0न0 51 के कि0न0 1/1 ता 2/2 में 0.506 है0 नहरी मय गैमुरास्ता खाता कि कुल 2.682 है0 नहरी मय रास्ता मय वादी संख्या 1 का 269/2682 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 134/1341 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 134/1341 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 269/2682 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 67/1341 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 67/1341 हिस्सा व इसी प्रकार वादीसंख्या 2 के नाम चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 159/185 के प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 14/1 ता 15/3 में 0.291 है0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है को वाद पत्र कि मद संख्या 5 के अनुसार मुताबीक कब्जा काशत आपसी कब्जा अनुसार विनीमय करते हुऐ डिक्री कि जावे वाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जारी किये गये प्रतिवादीगण



..... 4 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

संख्या 1 ता 8 की और से दिनांक 22.05.2025 को पेशी में लेने का प्रार्थना पत्र पेश कर साथ में इकबाल जबाव दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया वादीगण के ब्यान करवाये गये वादीगण द्वारा सलंगन जमाबन्दी के प्रदर्श 1 ता 9 अंकित किये गये वादी द्वारा अपने शपथ पत्र में अंकित किया कि वादी पत्र कि मद संख्या 5 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 8 का मुताबीक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में मुताबीक हिस्सा अंकित किया जावे।

वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा परस्पर विनीमय अनुरूप भूमि ऐकिकरण अपनी काश्त कि सुवीधा को देखते हुऐ मुताबीक हिस्सा कब्ज कश्त कर रखा है इसी अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन किया जावे। वकील प्रतिवादीगण द्वारा भी सहमति प्रदान कि गई पैराकाराज नायब तहसीलदार द्वारा वाद पत्र को राज्य हित सुरक्षित रखते हुऐ निर्णय किया।

बहस सुनी गई पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया वाद पत्र पर सभी पक्षकार सहमत होने पर वाद पत्र कि मद संख्या 5 के अनुरूप वादी पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है की यह कि वादी संख्या 1 हनुमान का कब्जा काश्त चक 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076-2079 खाता संख्या 25/21 प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 11 में 0.253 है0 नहरी 12 में 0.253 है0 नहरी 13/1 में 0.126 है0 खाता कि कुल 0.632 है0 जो बनवारी लाल पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड को कलमजन कर वादी संख्या 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 43/48 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 6 में 0.228 है0 नहरी 6/2 में 0.025 है0 खाला 7 ता 10 में 1.012 है0 नहरी कुल 1.265 है0 नहरी मया खाला जो राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र शंकरलाल के नाम दर्ज है को कलमजन कर वादी संख्या 1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता

..... 5 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



है व इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 37/36 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 21/2 में 0.240 है0 नहरी 22 में 0.253 है0 नहरी 23/2 में 0.127 है0 नहरी खाता कि कुल 0.620 है0 नहरी जो राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर वादी संख्या 1 हनुमान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व वादी संख्या 1 के नाम चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 207/172 से नाम कलमजन किया जाता है।

वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 2/1 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा कि0न0 3/1 में 0.228 है0 नहरी 3/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 4/1 में 0.209 है0 पश्चिम पाशा नहरी 4/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 7 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी 8 में 0.253 है0 नहरी 9 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा 12 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा 13 में 0.253 है0 नहरी 14 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी 17 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी ,18 में 0.253 है0 19 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा नहरी 22 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा नहरी 23 में 0.253 है0 नहरी 24 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी = 2.625 0 है0 नहरी मय रास्ता का कब्जा काश्त के अनुरूप खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू का खाता संख्या 43/48 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए का खाता संख्या 87/67 से नाम कलमजन किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 159/185 में 0.253 है0 कलमजन किया जाता है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 प0न0 60/288 मु0न0 64 के कि0न0 8 ता 20 में 3.289 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 25/21 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के खाता संख्या 87 से नाम कलमजन किया जाता है।

..... 6 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 सरबती का कब्जा काश्त चक 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076/2079 खाता संख्या 20/19 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 23/1 में 0.126 है0 नहरी 24 में 0.253 है0 नहरी 25 /1 में 0.228 है0 नहरी 25/2 में 0.025 है0 खाला कुल 0.632 है0 नहरी मय खाला जो राजस्व रिकार्ड में प्रेमा देवी पत्नी राजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2 सरबती को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 200/159 से नाम कलमजन किया जाता है।



प्रतिवादी संख्या 3 राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन के जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 के प0न0 66/287 मु0न0 57 के कि0न0 4/1 में 0.228 है0 नहरी 4/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 5/1 में 0.210 है0 नहरी पश्चिम पाशा 5/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता पश्चिम पाशा 6 में 0.235 है0 नहरी पश्चिम पाशा 7 में 0.253 है0 नहरी 14 में 0.253 है0 नहरी 15 में 0.235 है0 नहरी पश्चिम पाशा 16 में 0.235 है0 नहरी पश्चिम पाशा 17 में 0.253 है0 नहरी 24 में 0.253 है0 25 में 0.235 है0 पश्चिम पाशा नहरी कुल 2.440 है0 नहरी मय गैमुरास्ता का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 37/36 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के खाता संख्या 87/67 से नाम कलमजन किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा काश्त प्रेमा देवी पत्नी राजाराम चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 200/159 प0न0 61/281 मु0न0 12 के कि0न0 1 में 0.253 है0 नहरी 9 ता 12 में 1.012 है0 नहरी 19, 20, 21 में 0.720 है0 नहरी कुल 2.024 है0 प0न0 62/281 मु0न0 13 के कि0न0 20/1 में 0.051 है0 नहरी दक्षिण पाशा 21 में 0.253 है0 नहरी = 0.468 है0 नहरी खाता कि कुल 2.328 है0 नहरी जो राजस्व रिकार्ड में पेमा देवी पत्नी राजाराम, सरबती पत्नी हनुमान, सावत्री पत्नी बनवारीलाल के नाम 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज है को कलमजन

..... 7 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़ (राज.)

कर प्रतिवादी न. 4 प्रेमा देवी पत्नी राजाराम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 20/19 से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाता है।

यह कि प्रतिवादी न. 5 सावत्री पत्नी बनवारीलाल का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 200/159 के प0न0 62/281 मु0न0 13 के कि0न0 20/1 में 0.164 है0 नहरी उत्तरी पाशा चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 207/172 के प0न0 60/283 मु0न0 23 के कि0न0 1/1 में 0.228 है0 नहरी 1/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 2/1 में 0.228 है0 नहरी 2/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 3/1 में 0.228 है0 नहरी 3/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 9 में 0.253 है0 नहरी 10 में 0.253 है0 नहरी खाता कि कुल 1.264 है0 जो कि हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर प्रतिवादी न. 5 सावत्री देवी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 200/159 से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाता है।



यह कि प्रतिवाद संख्या 6 रामचन्द्र पुत्र श्री गोपालराम व प्रतिवादी संख्या 7 विनोद पुत्र श्री गोपालराम का कब्जा काश्त वाके चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 160/147 के प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 1/1 में 0.228 है0 नहरी 1/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 2/1 में 0.190 है0 नहरी 2/2 में 0.025 है0 रास्ता 9 में 0.215 है0 नहरी पश्चिम पाशा 10 में 0.253 है0 नहरी 11 में 0.253 है0 नहरी 12 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा 19 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा 20 में 0.253 है0 नहरी 21 में 0.253 है0 नहरी 22 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा = 2.340 है0 नहरी मय गैमुरास्ता व प0न0 66/287 मु0न0 57 का कि0न0 5 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 6 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 15 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 16 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 25 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा = 0.090

..... 8 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

है० नहरी कुल 2.430 है० नहरी मय रास्ता का बहिस्सा बराबर व रामचन्द्र के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र दर्ज किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

यह प्रतिवादी संख्या 8 शिवकुमार का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 160/147 के प०न० 65/287 मु०न० 56 के कि०न० 4 में 0.019 है० पूर्वी पाशा 5/1 में 0.203 है० नहरी 5/2 में 0.025 है० खाता 5/3 में 0.025 है० गैमुरास्ता 6/1 में 0.228 है० नहरी 6/2 में 0.025 है० खाला 7 में 0.019 है० पूर्वी पाशा 14 में 0.019 है० पूर्वी पाशा 15 में 0.228 है० नहरी 15/2 में 0.025 है० खाला 16/1 में 0.228 है० नहरी 16/2 में 0.025 है० खाला 17 में 0.019 है० पूर्वी पाशा 24 में 0.019 है० पूर्वी पाशा 25/1 में 0.228 है० नहरी 25/2 में 0.025 है० खाला = 1.360 है० नहरी मय खाला मय रास्ता का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।



यह कि चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 87/67 के प०न० 60/294 मु०न० 35 के कि०न० 17/2 में 0.253 है० नहरी 18 ता 24 में 1.771 है० नहरी व कि०न० 25/1 में 0.228 है० नहरी 25/2 में 0.025 है० = 2.176 है० नहरी मय खाला व प०न० 60/295 मु०न० 51 के कि०न० 1/1 में 0.228 है० नहरी 1/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता 2/1 में 0.228 है० नहरी 2/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता = 0.506 है० नहरी मय रास्ता खाता कि कुल 2.682 है० नहरी मय रास्ता में से बनवारी पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई का 134/1341 हिस्सा, महावीर पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई का 134/1341 हिस्सा, राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन का 269/2682 हिस्सा को कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई का 805/2682 हिस्सा दर्ज किया जाता है शेष अंकन यथावत रखा जावे इसी अनुरूप ही वाद वादीगण स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर डिक्री जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)  
सूरतगढ़

( आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिकी बमुकददम इब्तदाई

अज अदालत – न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – संदीप कुमार आर.ए.एस.

अनवान:-

1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

2 महावीर पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

.....वादीगण

बनाम्

1- बनवारीलाल पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

2- सरबती पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका तहसील  
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

3- राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

4- प्रेमा देवी पत्नी राजाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

5- सावत्री पत्नी बनवारीलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

6- रामचन्द्र पुत्र श्री गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा बिका  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

7- विनोद पुत्र गोपालराम जाति बिश्नोई निवासी सरदापुरा बिका तहसील  
सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

8- शिवकुमार पुत्र श्री शंकरलाल जाति बिश्नोई निवासी 64 एल एन पी  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।

9- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

..... प्रतिवादीगण

..... 2 पर लगातार

वाद अन्तर्गत 48, 53, 88, 209 आर.टी.ए. मुकदमा न० 87 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरू हमारे व हाजिर सुभाषचन्द्र बिश्नोई अभिभाषक वादीगण व धनवीर सिंह हुंदल अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 ता 8 व राज पैरोकार नायब तहसीलदार सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं:-

यह कि वादी संख्या 1 हनुमान का कब्जा काश्त चक 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076-2079 खाता संख्या 25/21 प०न० 49/298 मु०न० 13 के कि०न० 11 में 0.253 है० नहरी 12 में 0.253 है० नहरी 13/1 में 0.126 है० खाता कि कुल 0.632 है० जो बनवारी लाल पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड को कलमजन कर वादी संख्या 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 43/48 के प०न० 49/298 मु०न० 13 के कि०न० 6 में 0.228 है० नहरी 6/2 में 0.025 है० खाला 7 ता 10 में 1.012 है० नहरी कुल 1.265 है० नहरी मया खाला जो राजस्व रिकार्ड में महावीर पुत्र शंकरलाल के नाम दर्ज है को कलमजन कर वादी संख्या 1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 37/36 के प०न० 49/298 मु०न० 13 के कि०न० 21/2 में 0.240 है० नहरी 22 में 0.253 है० नहरी 23/2 में 0.127 है० नहरी खाता कि कुल 0.620 है० नहरी जो राजस्व रिकार्ड में राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर वादी संख्या 1 हनुमान को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व वादी संख्या 1 के नाम चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 207/172 से नाम कलमजन किया जाता है।

वादी संख्या 2 का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 प०न० 65/287 मु०न० 56 के कि०न० 2/1 में 0.038 है० पूर्वी पाशा कि०न० 3/1 में 0.228 है० नहरी

..... 3 पर लगातरा



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

3/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 4/1 में 0.209 है0 पश्चिम पाशा नहरी 4/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 7 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी 8 में 0.253 है0 नहरी 9 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा 12 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा 13 में 0.253 है0 नहरी 14 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी 17 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी ,18 में 0.253 है0 19 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा नहरी 22 में 0.038 है0 पूर्वी पाशा नहरी 23 में 0.253 है0 नहरी 24 में 0.234 है0 पश्चिम पाशा नहरी = 2.625 0 है0 नहरी मय रास्ता का कब्जा काश्त के अनुरूप खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू का खाता संख्या 43/48 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए का खाता संख्या 87/67 से नाम कलमजन किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 159/185 में 0.253 है0 कलमजन किया जाता है।



यह कि प्रतिवादी संख्या 1 बनवारीलाल का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 प0न0 60/288 मु0न0 64 के कि0न0 8 ता 20 में 3.289 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 25/21 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के खाता संख्या 87 से नाम कलमजन किया जाता है।

इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 सरबती का कब्जा काश्त चक 27 एल जी डब्ल्यू के जमाबन्दी संवत 2076/2079 खाता संख्या 20/19 के प0न0 49/298 मु0न0 13 के कि0न0 23/1 में 0.126 है0 नहरी 24 में 0.253 है0 नहरी 25 /1 में 0.228 है0 नहरी 25/2 में 0.025 है0 खाला कुल 0.632 है0 नहरी मय खाला जो राजस्व रिकार्ड में प्रेमा देवी पत्नी राजाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 2 सरबती को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 200/159 से नाम कलमजन किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन के जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता संख्या 160/147 के

..... 4 पर लगातरा

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

प०न० 66/287 मु०न० 57 के कि०न० 4/1 में 0.228 है० नहरी 4/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता 5/1 में 0.210 है० नहरी पश्चिम पाशा 5/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता पश्चिम पाशा 6 में 0.235 है० नहरी पश्चिम पाशा 7 में 0.253 है० नहरी 14 में 0.253 है० नहरी 15 में 0.235 है० नहरी पश्चिम पाशा 16 में 0.235 है० नहरी पश्चिम पाशा 17 में 0.253 है० नहरी 24 में 0.253 है० 25 में 0.235 है० पश्चिम पाशा नहरी कुल 2.440 है० नहरी मय गैमुरास्ता का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 37/36 व चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के खाता संख्या 87/67 से नाम कलमजन किया जाता है।



प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा काश्त प्रेमा देवी पत्नी राजाराम चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 200/159 प०न० 61/281 मु०न० 12 के कि०न० 1 में 0.253 है० नहरी 9 ता 12 में 1.012 है० नहरी 19, 20, 21 में 0.720 है० नहरी कुल 2.024 है० प०न० 62/281 मु०न० 13 के कि०न० 20/1 में 0.051 है० नहरी दक्षिण पाशा 21 में 0.253 है० नहरी = 0.468 है० नहरी खाता कि कुल 2.328 है० नहरी जो राजस्व रिकार्ड में प्रेमा देवी पत्नी राजाराम, सरबती पत्नी हनुमान, सावत्री पत्नी बनवारीलाल के नाम 1/3-1/3 हिस्सा दर्ज है को कलमजन कर प्रतिवादी न. 4 प्रेमा देवी पत्नी राजाराम को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व 27 एल जी डब्ल्यू के खाता संख्या 20/19 से प्रतिवादी संख्या 4 का नाम कलमजन किया जाता है।

यह कि प्रतिवादी न. 5 सावत्री पत्नी बनवारीलाल का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन जमाबन्दी संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 200/159 के प०न० 62/281 मु०न० 13 के कि०न० 20/1 में 0.164 है० नहरी उत्तरी पाशा चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत् 2072-2075 खाता संख्या 207/172 के प०न० 60/283 मु०न० 23 के कि०न० 1/1 में 0.228 है० नहरी 1/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता 2/1 में 0.228 है० नहरी 2/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता 3/1 में 0.228 है० नहरी 3/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता

..... 5 पर लगातार

उपखण्ड अधिकारी  
सुरतगढ़ (राज.)

9 में 0.253 है0 नहरी 10 में 0.253 है0 नहरी खाता कि कुल 1.264 है0 जो कि हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। को कलमजन कर प्रतिवादी न. 5 सावत्री देवी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व चक 9 डी बी एन के खाता संख्या 200/159 से प्रतिवादी संख्या 5 का नाम कलमजन किया जाता है।

यह कि प्रतिवाद संख्या 6 रामचन्द्र पुत्र श्री गोपालराम व प्रतिवादी संख्या 7 विनोद पुत्र श्री गोपालराम का कब्जा काश्त वाके चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 160/147 के प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 1/1 में 0.228 है0 नहरी 1/2 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 2/1 में 0.190 है0 नहरी 2/2 में 0.025 है0 रास्ता 9 में 0.215 है0 नहरी पश्चिम पाशा 10 में 0.253 है0 नहरी 11 में 0.253 है0 नहरी 12 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा 19 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा 20 में 0.253 है0 नहरी 21 में 0.253 है0 नहरी 22 में 0.215 है0 पश्चिम पाशा = 2.340 है0 नहरी मय गैमुरास्ता व प0न0 66/287 मु0न0 57 का कि0न0 5 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 6 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 15 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 16 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा 25 में 0.018 है0 पूर्वी पाशा = 0.090 है0 नहरी कुल 2.430 है0 नहरी मय रास्ता का बहिस्सा बराबर व रामचन्द्र के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में रामचन्द्र दर्ज किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है

यह प्रतिवादी संख्या 8 शिवकुमार का कब्जा काश्त चक 9 डी बी एन कि जमाबन्दी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 160/147 के प0न0 65/287 मु0न0 56 के कि0न0 4 में 0.019 है0 पूर्वी पाशा 5/1 में 0.203 है0 नहरी 5/2 में 0.025 है0 खाता 5/3 में 0.025 है0 गैमुरास्ता 6/1 में 0.228 है0 नहरी 6/2 में 0.025 है0 खाला 7 में 0.019 है0 पूर्वी पाशा 14 में 0.019 है0 पूर्वी पाशा 15 में 0.228 है0 नहरी 15/2 में 0.025 है0 खाला 16/1 में 0.228 है0 नहरी 16/2 में 0.025 है0 खाला 17 में 0.019 है0 पूर्वी पाशा 24 में 0.019 है0 पूर्वी पाशा 25/1 में 0.228 है0 नहरी 25/2

..... 6 पर लगातार




उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

में 0.025 है० खाला = 1.360 है० नहरी मय खाला मय रास्ता का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

यह कि चक 25 एल जी डब्ल्यू ए के जमाबन्दी संवत 2075—2078 के खाता संख्या 87/67 के प०न० 60/294 मु०न० 35 के कि०न० 17/2 में 0.253 है० नहरी 18 ता 24 में 1.771 है० नहरी व कि०न० 25/1 में 0.228 है० नहरी 25/2 में 0.025 है० = 2.176 है० नहरी मय खाला व प०न० 60/295 मु०न० 51 के कि०न० 1/1 में 0.228 है० नहरी 1/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता 2/1 में 0.228 है० नहरी 2/2 में 0.025 है० गैमुरास्ता = 0.506 है० नहरी मय रास्ता खाता कि कुल 2.682 है० नहरी मय रास्ता में से बनवारी पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई का 134/1341 हिस्सा, महावीर पुत्र शंकरलाल जाति बिश्नोई का 134/1341 हिस्सा, राजाराम पुत्र श्रीगंगाबिशन का 269/2682 हिस्सा को कलमजन कर प्रतिवादी संख्या 1 हनुमान पुत्र श्रीगंगाबिशन जाति बिश्नोई का 805/2682 हिस्सा दर्ज किया जाता है शेष अंकन यथावत रखा जावे व रहन भी यथावत रखा जावे नोज.....×..... मुबलिग.....×..... ... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना.....×..... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें ।

बसिद्व मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06.06.2025 को जारी की गई।



  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर एवं  
सूरतगढ़ (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़